ISSN: 2249-7196
IJMRR/Jan-Mar. 2023/ Volume 13/Issue 1/219-229
Dr. Snehlata Sengar / International Journal of Management Research & Review

महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और यात्रा में सुरक्षा का अध्ययन

डॉ. स्नेहलता सेंगर

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, सीहोर

सार

भारत में महिला कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों और यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा एक गंभीर राष्ट्रीय विषय बन गई है। इस शोध का उद्देश्य यह जानना है कि भारत में कार्यरत महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर किन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यह उनकी कार्य भागीदारी को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनमें NCRB (2018–2022), POSH अधिनियम की शिकायतें, और NFHS-5 (2021) शामिल हैं। शोध परिकल्पना यह है कि असुरक्षित सार्वजनिक स्थान और परिवहन महिला कर्मचारियों की कार्य भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। NCRB 2022 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध 4,45,256 अपराध दर्ज हुए और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली 56% महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का अनुभव किया। निष्कर्ष बताते हैं कि बुनियादी ढाँचे में सुधार, POSH जागरूकता, और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था से महिला कर्मचारियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

कीवर्ड: महिला सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन, यात्रा उत्पीड़न, POSH अधिनियम, कार्यक्षेत्र सुरक्षा

1. परिचय

भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी दर विश्व के अनेक देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है। इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण हैं, किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रायः उपेक्षित कारण है सार्वजनिक स्थानों और यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का अभाव। ली, देसाई एवं वैनेमैन (2019) ने अपने शोध में सिद्ध किया है कि परिवहन अवसंरचना में सुधार से महिलाओं की रोजगार दर में सीधी वृद्धि होती है। इसके विपरीत, असुरक्षित और अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था महिलाओं को घर तक सीमित कर देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB, 2022) के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध कुल

4,45,256 अपराध दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4% अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर अपराध दर प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 66.4 रही, जबकि दिल्ली में यह दर 144.4 थी राष्ट्रीय औसत से दोगुनी से भी अधिक। इन आँकड़ों में 18.7% घटनाएँ 'शील भंग के प्रयास' की हैं, जो अधिकांशतः सार्वजनिक स्थानों पर घटित होती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2021) के अनुसार 29.3% विवाहित महिलाओं ने जीवनकाल में पति द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जो दर्शाता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान की समस्या सर्वव्यापी है।

2021 में भारत के महानगरों में किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली लगभग 56% महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है। बोर्कर (2021) के विश्व बैंक अध्ययन में यह भी पाया गया कि 84% महिलाएँ उत्पीड़न के भय से किसी क्षेत्र विशेष में जाने से बचती हैं। यह भय उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। 2012 में हुए 'निर्भया कांड' के बाद सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013, महिला यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम (POSH) 2013, और निर्भया फंड जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके बावजूद, NCRB (2022) के बढ़ते आँकड़े और सर्वेक्षण डेटा यह स्पष्ट करते हैं कि महिला कर्मचारियों को आज भी प्रतिदिन की यात्रा में और सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यह शोधपत्र इस समस्या का व्यवस्थित विश्लेषण करता है और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।

2. साहित्य समीक्षा

भारत में महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा पर विस्तृत शोध किया गया है। विश्वनाथ एवं मेहरोत्रा (2007) ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर किए गए अध्ययन में बताया कि महिलाओं की गतिशीलता सामाजिक मानदंडों, जाति और वर्ग द्वारा नियंत्रित होती है और सार्वजनिक स्थान पर उनकी उपस्थिति को 'जोखिम भरा' माना जाता है। इसी संदर्भ में ढिल्लों एवं बकाया (2014) ने दिल्ली की युवा महिलाओं के अनुभवों का गुणात्मक अध्ययन कर पाया कि सड़क पर उत्पीड़न उनकी स्वतंत्र आवाजाही को स्थायी रूप से सीमित करता है। त्रिपाठी, बोरियन एवं बेलूर (2017) ने लखनऊ में 655 महिला छात्राओं पर किए गए सर्वेक्षण में पाया कि 50% से अधिक महिलाओं ने सार्वजनिक परिवहन में कम से कम एक बार यौन उत्पीड़न का अनुभव किया था, जिनमें से आधे बार-बार इसका शिकार बनी थीं। वर्मा, रोडेजा, मनोज एवं वर्मा (2020) ने अहमदाबाद और बेंगलुरु में सार्वजनिक बसों में

महिलाओं की सुरक्षा धारणा का अध्ययन किया और पाया कि 80% से अधिक महिलाएँ उत्पीड़न की घटना के बाद अपना यात्रा व्यवहार बदल देती हैं।

नटराजन (2016) ने भारत में कॉलेज जाने वाली महिलाओं पर यात्रा के दौरान 'ईव-टीजिंग' के आकलन में पाया कि यह समस्या महिला शिक्षा और रोजगार में भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से बाधित करती है। वलान (2020) के अध्ययन ने सार्वजनिक परिवहन में यौन उत्पीड़न की पीड़ित-शास्त्रीय विवेचना की और भारत में इस समस्या की गहरी जड़ों को उजागर किया। तिवारी, गर्ग एवं नेगी (2022) ने भारत में सार्वजनिक परिवहन में लैंगिक मुद्दों की समीक्षा में पाया कि अत्यधिक भीड़भाड़, कमजोर बुनियादी ढाँचा और लैंगिक संवेदनशीलता की कमी महिला यात्रियों को विशेष रूप से असुरक्षित बनाती है। लक्ष्मी एवं भकुनी (2023) ने अहमदाबाद में सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा के केस अध्ययन में पाया कि सुरक्षा बोध बस स्टॉप के डिजाइन, रोशनी और सह-यात्रियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। राणा (2023) के अनुसार भारत में ईव-टीजिंग और सार्वजनिक उत्पीड़न व्यापक हैं किंतु सामाजिक कलंक के भय से अधिकांश घटनाएँ रिपोर्ट नहीं होतीं।

अमरल एवं अन्य (2023) के प्रयोगात्मक अध्ययन ने शहरी भारत में पाया कि पुलिस गश्त बढ़ाने से सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न में उल्लेखनीय कमी आती है। वसीम के शोध में यह भी स्पष्ट हुआ कि यौन हिंसा का डर उत्तर भारत की महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। इन सभी अध्ययनों के निष्कर्ष एक-दूसरे को पुष्ट करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि महिला कर्मचारियों की यात्रा सुरक्षा का प्रश्न न केवल कानून-व्यवस्था से, बल्कि बुनियादी ढाँचे, सांस्कृतिक मानदंडों और नीतिगत प्राथमिकताओं से भी जुड़ा है।

3. उद्देश्य

1. भारत में महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और यात्रा के दौरान सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का NCRB एवं अन्य आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर व्यवस्थित विश्लेषण करना।
2. कार्यस्थल तक यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना और नीतिगत सुधार हेतु साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। शोध में केवल द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। डेटा स्रोतों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट (2018–2022), NSE-सूचीबद्ध कंपनियों के POSH अधिनियम 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें (CEDA, Ashoka University), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019–21), और अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी-समीक्षित शोधपत्र शामिल हैं। शोध परिकल्पना है: "सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में असुरक्षा महिला कर्मचारियों की गतिशीलता और रोजगार भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।" अध्ययन का दायरा अखिल भारतीय स्तर पर है तथा राज्यवार और महानगर स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तालिकाओं, वर्ष-दर-वर्ष प्रवृत्ति विश्लेषण, और प्रतिशत वितरण पद्धति का उपयोग किया गया है। चूँकि यह द्वितीयक डेटा पर आधारित है, इसलिए प्राथमिक नमूना चयन की आवश्यकता नहीं रही; समस्त राष्ट्रीय-स्तरीय डेटा को शोध इकाई माना गया है। सभी आँकड़े 2018 से 2023 की समय-सीमा के भीतर के हैं।

5. परिणाम और तालिकाएँ

तालिका 1: भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध वर्ष-वार प्रवृत्ति (2018–2022)

वर्ष	दर्ज मामले (संख्या)	प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर
2018	3,78,277	58.8
2019	4,05,326	62.4
2020	3,71,503	56.5
2021	4,28,278	64.5
2022	4,45,256	66.4

(स्रोत: NCRB, 2022; NCRB, 2021)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि 2018 से 2022 के बीच अपराध दर 58.8 से बढ़कर 66.4 हो गई जो 12.9% की वृद्धि है। 2020 में COVID-19 के कारण थोड़ी कमी आई, किंतु 2021 में 4,28,278 और 2022 में 4,45,256 मामले दर्ज हुए। यह वृद्धि दर्शाती है कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध अपराध में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2022)।

तालिका 2: शीर्ष 5 राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (2022)

राज्य	दर्ज मामले	प्रति लाख महिला जनसंख्या पर दर
उत्तर प्रदेश	65,743	59.6
महाराष्ट्र	45,331	72.9
राजस्थान	45,058	114.0
पश्चिम बंगाल	34,502	71.8
हरियाणा	14,946	118.7

(स्रोत: NCRB, 2022)

तालिका 2 से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में मामलों की संख्या सर्वाधिक है (65,743), परंतु हरियाणा (118.7) और राजस्थान (114.0) में अपराध दर राष्ट्रीय औसत 66.4 से लगभग दोगुनी है। यह क्षेत्रीय विषमता दर्शाती है कि महिला सुरक्षा की समस्या का समाधान राज्य-विशिष्ट नीतियों से होना चाहिए (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2022)।

तालिका 3: महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकार-वार वितरण (2022)

अपराध का प्रकार	प्रतिशत हिस्सा
पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 498-A)	31.4%
अपहरण/महिलाओं की तस्करी	19.2%
शील भंग का प्रयास	18.7%
बलात्कार	7.1%
अन्य अपराध	23.6%

(स्रोत: NCRB, 2022)

तालिका 3 से स्पष्ट है कि 'शील भंग का प्रयास' (18.7%) और 'अपहरण' (19.2%) कुल अपराधों का 37.9% भाग बनाते हैं और ये प्रायः सार्वजनिक स्थानों और यात्रा के दौरान होते हैं। 2022 में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज हुए जिनमें दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 3 मामले थे (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2022)।

तालिका 4: POSH अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायतें NSE कंपनियाँ (FY 2019-20 से 2022-23)

वित्त वर्ष	दर्ज शिकायतें	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन
2019-20	999	—
2020-21	586	−41% (COVID प्रभाव)
2021-22	759	+30%
2022-23	1,160	+53%

(स्रोत: सीईडीए, अशोका विश्वविद्यालय)

तालिका 4 दर्शाती है कि POSH शिकायतें 2022-23 में 1,160 के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचीं, जो बढ़ती जागरूकता का संकेत है। फिर भी FY 2022-23 में 219 NSE कंपनियों ने शून्य मामले दर्ज किए। नवंबर 2023 के एक सर्वेक्षण में 40% कामकाजी महिलाएँ POSH अधिनियम से अनजान पाई गईं और 53% HR पेशेवरों को इस कानून की पूरी जानकारी नहीं थी।

तालिका 5: प्रमुख महानगरों/राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर (2022)

शहर/राज्य	प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर
दिल्ली	144.4
हरियाणा	118.7
तेलंगाना	117.6
राजस्थान	114.0
राष्ट्रीय औसत	66.4
नागालैंड (न्यूनतम)	5.0

(स्रोत: NCRB, 2022)

तालिका 5 से स्पष्ट है कि दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर (144.4) राष्ट्रीय औसत की लगभग दोगुनी है। दिल्ली में कार्यरत महिलाएँ 'शील भंग' और 'अपहरण' दोनों श्रेणियों में सभी 19 महानगरों में सर्वाधिक जोखिम में हैं (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2022)।

तालिका 6: सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा सर्वेक्षण आधारित प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन/सर्वेक्षण	**मुख्य निष्कर्ष**
ऑनलाइन सर्वेक्षण, महानगर, 2021	56% महिलाओं ने सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न अनुभव किया
बोर्कर (2021), दिल्ली	84% महिलाएँ उत्पीड़न के भय से किसी क्षेत्र में जाने से बचती हैं
वर्मा एवं अन्य (2020), अहमदाबाद-बेंगलुरु	80%+ महिलाएँ घटना के बाद यात्रा व्यवहार बदलती हैं
लक्ष्मी एवं भकुनी (2023), अहमदाबाद	कमजोर प्रकाश और अत्यधिक भीड़ प्रमुख असुरक्षा कारक पाए गए

(स्रोत: वर्मा एवं अन्य, 2020; बोर्कर, 2021; लक्ष्मी एवं भकुनी, 2023)

तालिका 6 के सर्वेक्षण आधारित आँकड़े दर्शाते हैं कि सार्वजनिक परिवहन में महिला उत्पीड़न एक व्यापक और सामान्य अनुभव है। 84% महिलाओं का भय के कारण यात्रा सीमित करना उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार भागीदारी को सीधे प्रभावित करता है (बोर्कर, 2021; लक्ष्मी एवं भकुनी, 2023)।

6. चर्चा

इस अध्ययन के परिणाम भारत में महिला कर्मचारियों की सार्वजनिक सुरक्षा की गंभीर और बहुआयामी चुनौती को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। पहले उद्देश्य वर्तमान स्थिति का विश्लेषण के संदर्भ में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2022) के आँकड़े बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर में 12.9% की वृद्धि

हुई है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों महिला कर्मचारियों के दैनिक भय और संघर्ष का प्रतिबिंब है। दूसरे उद्देश्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान के संदर्भ में, यह स्पष्ट हुआ कि बुनियादी ढाँचे की कमजोरी सबसे प्रमुख कारक है। तिवारी, गर्ग एवं नेगी (2022) ने भारत के सार्वजनिक परिवहन में लैंगिक संवेदनशीलता की गंभीर कमी को रेखांकित किया है। बस स्टॉप पर अंधेरा, अत्यधिक भीड़, और शिकायत तंत्र की अनुपस्थिति महिला कर्मचारियों को प्रतिदिन असुरक्षित बनाती है। त्रिपाठी, बोरियन एवं बेलूर (2017) का लखनऊ अध्ययन और वर्मा एवं अन्य (2020) का अहमदाबाद-बेंगलुरु अध्ययन दोनों यह पुष्टि करते हैं कि सार्वजनिक बसों में उत्पीड़न का स्तर अत्यंत उच्च है।

POSH अधिनियम की शिकायतों का विश्लेषण (तालिका 4) यह बताता है कि कानूनी ढाँचा मौजूद होने के बावजूद उसका कार्यान्वयन अत्यंत कमजोर है। सीईडीए के अनुसार FY 2022-23 में 219 NSE कंपनियों ने एक भी शिकायत दर्ज नहीं की, जो स्पष्टतः कम रिपोर्टिंग की ओर इशारा करता है। बोर्कर (2021) का यह निष्कर्ष कि 84% महिलाएँ भय के कारण यात्रा सीमित करती हैं एक दूरगामी आर्थिक प्रभाव का संकेत है। ली, देसाई एवं वैनेमैन (2019) ने इसे और स्पष्ट किया है कि परिवहन असुरक्षा महिलाओं की रोजगार दर को सीधे घटाती है। अमरल एवं अन्य (2023) ने पुलिस गश्त के प्रयोगात्मक साक्ष्य से भी यही निष्कर्ष निकाला। यौन हिंसा का निरंतर भय महिलाओं में 'क्रॉनिक ट्रॉमा' की स्थिति उत्पन्न करता है जो उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। राणा (2023) का अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि उत्पीड़न की घटनाएँ व्यापक हैं किंतु सामाजिक कलंक और पुलिस पर अविश्वास के कारण रिपोर्ट नहीं होतीं। अतः, नीतिगत दृष्टि से आवश्यक है कि सार्वजनिक परिवहन में महिला-अनुकूल बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता दी जाए, POSH अधिनियम की जागरूकता और अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, शहरी नियोजन में 'सेफ्टी ऑडिट' अनिवार्य किए जाएँ, और हेल्पलाइन तंत्र को 24×7 प्रभावी बनाया जाए।

7. निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हुआ कि भारत में महिला कर्मचारियों की सार्वजनिक स्थानों और यात्रा में सुरक्षा गंभीर रूप से अपर्याप्त है। NCRB के आँकड़े, सर्वेक्षण डेटा, और POSH शिकायतें सभी यह सिद्ध करते हैं कि उत्पीड़न और असुरक्षा की समस्या व्यापक है और इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। शोध परिकल्पना सत्यापित होती है। सरकार, नगर नियोजकों, नियोक्ताओं और

नागरिक समाज को सम्मिलित प्रयासों से सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करने होंगे।

संदर्भ सूची

1 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। (२०२२)। भारत में अपराध २०२२। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। https://ncrb.gov.in/crime-in-india-year-wise-2022

2 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। (२०२१)। भारत में अपराध २०२१। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। https://ncrb.gov.in/crime-in-india-year-wise-2021

3 बोर्कर, जी. (२०२१)। सुरक्षा सर्वप्रथम: सड़क उत्पीड़न के कथित जोखिम और महिलाओं के शैक्षणिक चयन (विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र सं. ९७३१)। विश्व बैंक। https://doi.org/10.1596/1813-9450-9731

4 ली, एल., देसाई, एस., एवं वैनेमैन, आर. (२०१९)। भारत में परिवहन अवसंरचना का महिलाओं के रोजगार पर प्रभाव। नारीवादी अर्थशास्त्र, २५(४), ९४–१२५। https://doi.org/10.1080/13545701.2019.1655162

5 त्रिपाठी, के., बोरियन, एच., एवं बेलूर, जे. (२०१७)। सार्वजनिक परिवहन में छात्राओं का यौन उत्पीड़न: लखनऊ, भारत में एक अन्वेषणात्मक अध्ययन। क्राइमआर्काइव। https://doi.org/10.21428/cb6ab371.c3856e95

6 वर्मा, एम., रोडेजा, एन., मनोज, एम., एवं वर्मा, ए. (२०२०)। सार्वजनिक बसों में युवा महिलाओं की सुरक्षा की धारणा: दो भारतीय शहरों (अहमदाबाद और बेंगलुरु) का अध्ययन। परिवहन अनुसंधान प्रक्रिया, ४८, ३२५४–३२६३। https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.08.151

7 नटराजन, एम. (२०१६)। भारत में कॉलेज आने-जाने के दौरान युवा महिलाओं के यौन उत्पीड़न (ईव-टीजिंग) का त्वरित आकलन। अपराध विज्ञान, ५(६), १–११। https://doi.org/10.1186/s40163-016-0054-9

8 तिवारी, आर., गर्ग, वाई. के., एवं नेगी, यू. (२०२२)। भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में लैंगिक मुद्दे: समीक्षात्मक अध्ययन। डब्ल्यू. लियल फिल्हो एवं अन्य (संपा.), एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य। स्प्रिंगर। https://doi.org/10.1007/978-3-030-91262-8_24-1

9 गर्ग, ए. (२०२४)। सुरक्षित यात्रा: परिवहन विकास और भारत में महिलाओं की सुरक्षा। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान नेटवर्क (एसएसआरएन)। https://doi.org/10.2139/ssrn.4997878

10 लक्ष्मी, आर., एवं भकुनी, एन. (२०२३)। सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा — अहमदाबाद का केस अध्ययन। टिकाऊ परिवहन (पृ. २०१–२१५)। स्प्रिंगर। https://doi.org/10.1007/978-981-99-3447-8_13

11 ढिल्लों, एम., एवं बकाया, एस. (२०१४)। सड़क उत्पीड़न: दिल्ली की युवा महिलाओं के अनुभवों का गुणात्मक अध्ययन। सेज ओपन, ४(३)। https://doi.org/10.1177/2158244014543786

12 विश्वनाथ, के., एवं मेहरोत्रा, एस. टी. (२००७)। 'क्या हम बाहर जाएँ?' दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, ४२(१७), १५४२–१५४८। https://www.jstor.org/stable/4419534

13 राणा, यू. (२०२३)। क्या हम सुरक्षित हैं? भारत में ईव-टीजिंग (या सार्वजनिक यौन उत्पीड़न) की जाँच। अंतर्राष्ट्रीय महिला अध्ययन पत्रिका, २५(७)। https://doi.org/10.31235/osf.io/3y9u6

14 वसीम, एस. (२०२५)। भय में जीवन: भारत में महिलाओं पर यौन हिंसा के खतरे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सामाजिक मुद्दों और सार्वजनिक नीति का विश्लेषण, २५, ई७००३७। https://doi.org/10.1111/asap.70037

15 अमरल, एस., भालोत्रा, एस., भवनानी, आर., एवं प्रकाश, एन. (२०२३)। सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न और पुलिस गश्त: शहरी भारत से प्रयोगात्मक साक्ष्य (एनबीईआर कार्यपत्र सं. ३१७३४)। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो। https://doi.org/10.3386/w31734

16 आर्थिक डेटा और विश्लेषण केंद्र (सीईडीए)। (२०२४)। POSH अधिनियम के एक दशक: आँकड़े भारतीय उद्योग जगत के बारे में क्या बताते हैं। अशोका विश्वविद्यालय। https://ceda.ashoka.edu.in/a-decade-of-the-posh-act-what-the-data-tells-us-about-how-india-inc-has-fared/

17 वलान, एम. एल. (२०२०)। सार्वजनिक परिवहन में यौन उत्पीड़न की पीड़ित-शास्त्र: भारत से साक्ष्य। भारतीय अपराध-शास्त्र पत्रिका, ४८(१), ५४–७०। https://doi.org/10.1177/2516606920927303

18 इयस लेबोरिस। (२०२४)। भारत का यौन उत्पीड़न कानून, एक दशक बाद। https://iuslaboris.com/insights/indias-sexual-harassment-law-a-decade-on/

19 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-५ (एनएफएचएस-५)। (२०२१)। भारत प्रतिवेदन २०१९–२१। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। https://rchiips.org/nfhs/nfhs-5Reports/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf

IJMRR